दिनांक 15 एवं 16 जनवरी, 2018 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 3848/110/तीन/97–VII दिनांक 05–01–2018, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 15 एवं 16 जनवरी, 2018 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओ– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् है :–

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना –राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 की समीक्षा में सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत SHG गठन की लक्ष्य के सापेक्ष 47 शहरों की अद्यतन प्रगति 75 प्रतिशत से कम पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त किया गया। 75 प्रतिशत से कम प्रगति वाले शहरों में यथा गाजीपुर, बागपत, रार्बटसगंज (सोनभद्र), गुलाठी (बुलन्दशहर), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), पड़रौना (कुशीनगर), मवाना (मेरठ), मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, लहरपुर (सीतापुर), चन्दौली, मुज्जफरनगर, हरदोई, ज्ञानपुर (भदोही), सरधाना (मेरठ), भदोही, मुगलसराय (चन्दौली), गन्नाघाट (उन्नाव), लखनऊ, गनगोह (सहारनपुर), गोला गोखरन नाथ (लखीमपुर खीरी), बिसवॉ (सीतापुर), महमूदाबाद (सीतापुर), सुलतानपुर, मंझनपुर (कौशाम्बी), फर्रुखाबाद, अकबरपुर (कानुपर देहात), नवाबगंज (बाराबंकी), हाथरस, गौरीगंज (अमेठी), शाहजहॉपुर, कासगंज, प्रतापगढ़, उरई (जालौन), झांसी, कीरतपरु (बिजनौर), कन्नौज, नजीबाबाद (बिजनौर), इलाहाबाद, शेरकोट (बिजनौर), हसनपुर (अमरोहा), चॉदपुर (बिजनौर), गजरौला (अमरोहा), फरीदपुर (बरेली), नगीना (बिजनौर) एवं बहेरी (बरेली) सम्मिलित है। इन शहरों के परियोजना अधिकारी/शहर मिशन प्रबन्धक को दिसम्बर माह तक का तदानुसार लक्ष्य पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये।

SM&ID घटक के अन्तर्गत SHG को RF के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि की समीक्षा में पाया गया कि यथा जनपद बहराइच, गाजीपुर, पड़रौना (कुशीनगर), लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली एवं फैजाबाद में घटक के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता होते हुए भी RF अवमुक्त नहीं किया गया है जिस पर गहरी अप्रसन्ता व्यक्त की गयी है तथा अन्य शहरों में भी RF अवमुक्त की प्रगति अत्यन्त धीमी होने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी अर्ह 03 माह के क्रियाशील SHG को RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

समीक्षा में पाया गया कि 02 शहरों यथा हरदोई एवं कन्नौज में SHG अभी तक क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन्स (ALF) का गठन नही किया गया है जिसको गम्भीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि सभी शहर संदर्भ संस्थाओं के माध्यम से तेजी से कार्य करते हुए प्रत्येक दशा में इसी माह जनवरी, 2018 में ALF का पंजीकरण कराकर रिर्पोट करें।

उक्त के साथ ही इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता कैम्पों का आयोजन कराये, SHG सदस्यों के बैंक में बचत खाता खुलवायें तथा बचत खाते प्रधानमंत्री जनधन योजनान्तर्गत भी खुलवाकर रिपोर्ट करें।

गठित SHG के सभी सदस्यों की तत्काल प्रशिक्षण पूर्ण कराने के साथ ही समन्वयन के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं माइक्रोफाइनेंस का लाभ भी इस घटक एवं DAY-NULM के लाभार्थियों को दिलवाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये। समूहों की सूचीबद्ध संलग्न निर्धारित प्रारुप पर की जाय। गठित सभी समूहों को सूचीबद्ध करते हुए उनके उत्साहवर्धन हेतु डूडा कार्यालय में बुलाकर बैठक आयोजित की जाय तथा उत्पादन से सम्बद्ध समूहों की सूचीबद्धता, प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी तथा निर्धारित प्रारुप पर अंकन भी उसी क्रम में किया जायेगा तथा आर्थिक गतिविधि कर रहे अच्छे समूहों की सूची निम्नलिखित प्रारुप पर एन0यू0एल0एम0 कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक दशा में 30.01.2018 तक उपलब्ध करा दी जाये ताकि मुख्यालय स्तर पर प्राप्त विवरणों को संकलित किया

जा सके। आर्थिक गतिविधि कर रहे समूहो में से अच्छे समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शिनी माह फरवरी, 2018 में मुख्यालय स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। जिसके दृष्टिगत सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गठित सभी समूहों का प्रथम वरीयता के आधार पर बैंक लिंकेज कराते हुए आय सृजनात्मक कार्यों से जोड़ा जाय तथा प्रत्येक शहर में अच्छे समूहों के कतिपय मॉडल विकसित किये जाये। उक्त के साथ ही शहर में गठित ए0एल0एफ0 को भी वृहद स्तर पर भी आर्थिक गतिविधि करने हेतु प्रेरित करते हुए आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय।

क्र. सं.	स्वयं सहायता समूह का नाम	लोकेशन (पता)	समूह गठन (तिथि/ माह एवं वर्ष)	समूह के अध्यक्ष/सचिव /कोषाध्यक्ष का नाम व मो0नम्बर		रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त हाँ/ नहीं	बैंक लिंकेज हाँ/ नहीं	समूह द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का नाम	समूह द्वारा उत्पादित उत्पाद का नाम	विक्रयश्रोत (उत्पादकों की बिक्री कैसे और कहां की जा रही है)	समस्याएं	समस्या समाधान हेतु सुझाव
				नाम	मो0नं0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1 2 3								
				1 2 3								

CMM, CMMU DUDA PO, DUDA

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) की प्रगति बेहतर करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया कि CLC को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजनेस प्लान के प्रारुप में बिजनेस प्लान तैयार कर तदानुसार संचालन भी तेजी से करात हुए आत्म निर्भरता की तरफ CLC को ले जाय। CLC में कौशल प्रशिक्षण पायें सभी लाभार्थियों को पंजीकृत किया जाय, साथ ही अन्य विभागों जैसे कौशल विकास मिशन आदि विभागों द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों को भी पंजीकृत किया जाय तथा पंजीकृत कामगारों तथा अन्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की ट्रेडवार सूची तैयार कर शहर में उपलब्ध विभिन्न बिजनेस हाउस, मॉल्स, नर्सिंग होम, हास्पिटल एवं सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार रोजगार दिलाये साथ ही दैनिक सेवाओं हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से भी पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 में अच्छे समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को इेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत करें तथा समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करायें। समूहों के उत्पादों की बिक्री विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ड, होम शॉप, शॉप 18 आदि से सम्पर्क कर समन्वयन के माध्यम से भी बिक्री कराना सुनिश्चित करे।

CLC के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु तहसील दिवस में बैनर एवं शहरों में होर्डिंग्स के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय साथ ही विभिन्न प्रकार की बैठकों एवं अन्य आयोजनों का भी व्यापक चर्चा कर प्रचार प्रसार किया जाय। मुख्यालय स्तर पर संचालित टोल फ्री नं0 1800 1800 155 का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मेरठ, कन्नौज, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं बस्ती शहरों में CLC स्वीकृत के एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक संचालित न किये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए तत्काल संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि संचालन न प्रारम्भ होने की दशा में अवमुक्त धनराशि मय ब्याज के साथ सूडा उ0प्र0 को वापस करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के साथ ही घटक के अन्तर्गत लक्ष्य पूर्ण हेतु निम्न निर्देश दिये गये:–

1. आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने की रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तेजी से युद्ध स्तर पर कार्य किया जाये तथा **''मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता के दृश्टिगत घटक के सभी गतिविधियों में तदानुसार जनवरी माह तक के लक्ष्यों को सम्मिलित कर प्रगति सुनिश्चित की जाये।''**

2. सन्दर्भ संस्थाओं के लम्बित भुगतान अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय सीमा में न किये जाने की स्थित पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुबन्ध के अनुसार तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

SUH- शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत स्वीकृत 97 आश्रय गृहों में से अद्यतन 51 आश्रय गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें से 31 दिसम्बर से पूर्व 46 आश्रय गृहों के पूर्ण निर्माण कार्य वाले आश्रय गृहों के संचालन की प्राप्त मौखिक सूचना के आधार पर मा0 उच्चतम न्यायालय में संचालित की श्रेणी में दर्शाया गया है, जिसके सापेक्ष अद्यतन 21 आश्रय गृहों के संचालन की सूचना मुख्यालय को प्राप्त है। शेष 25 आश्रय गृहों के साथ ही अद्यतन अन्य पूर्ण 5 आश्रय गृहों के संचालन की तत्काल सूचना एन0यू0एल0एम0 कार्यालय को ई–मेल suhnulmup@gmail.com को उपलब्ध करायी जाये। प्रकरण की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत संचालन में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाय तथा शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही संचालन आरम्भ करा दिया जाये। पूर्ण निम्नलिखित आश्रय गृहों के संचालन की सूचना अप्राप्त है जिसे तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये:–

Sl.No	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	Sanctioned Details		FOR NO. OF PERSON'S	Physical progress
				DPR SANCTIONED DATE	TYPE OF SHELTER (NEW CONSTRUCTION/ UP GRADATION)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lucknow	1	Daliganj	02.02.2016	REFURBISHMENT	40	100%
		2	C-Block Indira Nagar	02.02.2016	REFURBISHMENT	21	100%
		3	Kanpur Road, Chungi	02.02.2016	REFURBISHMENT	16	100%
		4	Aminabad	02.02.2016	REFURBISHMENT	17	100%
		5	Latouche Road	02.02.2016	REFURBISHMENT	30	100%
		6	Chakbast Road	02.02.2016	REFURBISHMENT	35	100%
2	Kanpur Nagar	7	Shivli Road	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	60	100%
		8	Pahadpur	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	60	100%
		9	Sutarkhana	02.08.2016	REFURBISHMENT	17	100%
		10	Badshahi Naka	02.08.2016	REFURBISHMENT	30	100%
		11	Dhaknapurwa	02.08.2016	REFURBISHMENT	28	100%
		12	Phoolbagh	02.08.2016	REFURBISHMENT	34	100%
		13	Panki Mandi	02.08.2016	REFURBISHMENT	80	100%
		14	Usmanpur	02.08.2016	REFURBISHMENT	20	100%
		15	Sarsaiya Ghat	02.08.2016	REFURBISHMENT	52	100%
		16	B.N. Bhalla	02.08.2016	REFURBISHMENT	30	100%
3	GHAZIABAD (M Corp.)	17	Sudamapuri	14.03.2016	NEW CONSTRUCTION	100	100%
4	UNNAO (NPP)	18	AB Nagar	28.11.2014	NEW CONSTRUCTION	50	100%
5	MAHOBA (NPP)	19	Raath Road, Near Navodaya vidyalaya	23.01.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
6	MAHARAJGANJ (NPP)	20	Chiuraha Maupakad	19.12.2014	NEW CONSTRUCTION	50	100%
7	Loni-Gaziabad (NPP)	21	Ghaziabad-Loni Road	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
8	Ballia (NPP)	22	Consumer Court parisar	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	56	100%
9	Robertsganj-Sonbhadra (NPP)	23	Purani Tahasil ke paas	12.03.2015	NEW CONSTRUCTION	50	100%
10	Farrukhabad-(NPP)	24	CMO Office, Fatehgarh	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	96%
11	Meerut (M.Corp)	25	Mukut Mahal, Banquet Hall	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%

Sl.No	NAME of the City/ULB	Sl. No of Shelter Homes	Location	Sanctioned Details		FOR NO. OF PERSON'S	Physical progress
				DPR SANCTIONED DATE	TYPE OF SHELTER (NEW CONSTRUCTION/ UP GRADATION)		
		26	Baral Partaarpur	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	70	100%
		27	Rohta Road	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
		28	Garh Road	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
12	Rampur (NPP)	29	Mumtaj Park	30.06.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%
13	Aligarh (M.Corp)	30	Bhojpura	21.05.2015	NEW CONSTRUCTION	100	100%

उक्त के साथ ही अवगत कराया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विगत 10.01.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा तेजी से शेल्टर निर्माण हेतु भूमि/भवन को चिन्हित कर शेल्टर होम का निर्माण कार्य कराया जाय। मा0 उच्चतम न्यायालय में आगामी तिथि 08.02.2018 को नियत है जिसमें भूमि/भवन की सूचना उपलब्ध करायी जानी है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि अनुपयोगी स्कूलों एवं सामुदायिक केन्द्रों का विवरण इस कार्यालय के पत्रांक 901/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक 19.01.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर प्रत्येक दशा में दिनांक 25.01.2018 तक उपलब्ध कराया जाय। साथ ही निम्न कार्यवाही भी प्रथम वरीयता के आधार पर पूर्ण की जाये:–

1. एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत चयनित सभी 130 शहरों में शासनादेश के अनुक्रम में कार्यकारी समिति का गठन कर तत्काल बैठक कराते हुए भारत सरकार के वेबसाइट पर तुरन्त इन्ट्री कर दी जाये क्योंकि भारत सरकार के पोर्टल से प्रिन्ट निकाल कर प्रत्येक तिथियों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है।

2. सभी पूर्ण एवं निर्माणाधीन शेल्टर होम के लिए शासनादेश के अनुक्रम में तत्काल शेल्टर मैनेजमेन्ट कमेटी का गठन कर बैठक कराते हुए इसकी भी तुरन्त इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर की जाय।

3. सभी शहर कार्यकारी समिति की इसी माह 01 बैठक कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर इन्ट्री करें। कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त में शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के संबंध में चर्चा एवं प्रगति का उल्लेख अवश्य अंकित किया जाय।

4. सभी पूर्ण शेल्टर होम का संचालन तत्काल प्रारम्भ किया जाय। संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, हस्तगत होने का प्रमाण पत्र, शेल्टर होम के बाहरी एवं अन्दर के फोटोग्राफ जिसमें उपलब्ध सेवायें/सुविधायें स्पष्ट दिखायी पड़ती हो, शेल्टर होम का संचालन किसके द्वारा किया जायेगा का उल्लेख एवं शेल्टर होम निर्माण हेतु अवमुक्त अन्तिम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव प्रेषित करते हुए संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि सूडा से अवमुक्त करा ली जाय।

5. कार्यकारी समिति एवं शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित मासिक बैठक कर इन्ट्री भारत सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जाय।

6. नगर निगम द्वारा एन0यू0एल0एम0 के अतिरिक्त जो भी शेल्टर होम संचालित है उन सभी शेल्टर होम के लिए भी शेल्टर मैनेजमेनट कमेटी का गठन कर उपरोक्तानुसार बैठक कराते हुए तत्काल इन्ट्री की जाय।

7. एन0यू0एल0एम0 के अन्तर्गत निर्मित एवं नगर निगम द्वारा संचालित सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल मय फोटोग्राफ के नगर निगम के समन्वय से प्राप्त कर प्रत्येक दशा में 25.01.2018 तक एस0यू0एल0एम0 सूडा उ0प्र0, पर्यटन भवन को मेल अथवा विशेष वाहक के द्वारा उपलब्ध कराकर भारत सरकार के पोर्टल पर एस0यू0एल0एम0 एम0आई0एस0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नही होगी।

8. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 08.02.2018 को नियत है जिसके दृष्टिगत उपरोक्त सभी कार्यवाही सुनवाई से पूर्व प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।

EST&P- DAY-NULM के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत सभी शहरों में प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति को देखते हुए निम्नवत् निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया:–

क्र. सं.	प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन की स्थिति	शहरों के नाम	निर्देश
1.	50% से कम और 40% से अधिक	रायबरेली, मऊ, गाजियाबाद, बलिया, आजमगढ़, लोनी (गाजियाबाद), औरैया, बदायूँ, मुरादाबाद, उरई (जालौन)।	इन शहरों को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह जनवरी, 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह फरवरी, 2018 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो।
2.	40% से कम	खुर्जा (बुलन्दशहर), ज्ञानपुर (भदोही), फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मंझनपुर (कौशाम्बी), कासगंज।	इन शहरों को सख्त निर्देश दिये गये कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए रोजगार मेलों का आयोजन कराकर माह जनवरी, 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करें जोकि माह फरवरी, 2018 की मासिक समीक्षा में अनिवार्य रुप से परिलक्षित हो अन्यथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जायेगी। • फिरोजाबाद, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं कासगंज को निर्देशित किया गया कि संस्थाओं को नोटिस जारी करते हुए माह जनवरी, 2018 के अन्त तक न्यूनतम 50% सेवायोजन कराकर एम0आई0एस0 पर अपलोड करायें अन्यथा उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

मासिक समीक्षा बैठक में सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा MIS में सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) अपलोड किये जाने से पहले संबंधित शहर के सी0एम0एम0यू0/डूडा कार्यालय को सेवायोजन का विवरण (प्लेसमेन्ट लेटर) की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा शत–प्रतिशत सेवायोजन के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये तथा पी0ओ0/ए0पी0ओ0 द्वारा भी 15–20 प्रतिशत सेवायोजित लाभार्थियों का सत्यापन किया जाये। सत्यापन के लाभार्थियों का समस्त विवरण रजिस्ट्रर पर अंकित किया जाये तथा जिस अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाये उसके हस्ताक्षर भी रजिस्ट्रर पर किये जाये। तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये।

अभी तक सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अपलोड नही किये जा रहे है जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अतः सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि सेवायोजित किये गये सभी प्रशिक्षार्थियों के 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधि प्रपत्र MIS पर अपलोड किये जाये और हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

EST&P के अन्तर्गत रामपुर को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में अवशेष असेसिंग बॉडीस को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

NSDC Partner संस्थाओं से संबंधित 44 शहरों को निर्देशित किया गया कि सभी NSDC Partner संस्थाओं से समन्वय करते हुए प्रत्येक दशा में फरवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह तक शहरों हेतु जारी लक्ष्यों के सापेक्ष अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

SUSV- DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा

निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 10.02.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शांहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 06 माह से 01 वर्ष तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 10.02.2018 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें परिचय पत्र, पथ विक्रय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। इसे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार की जायेगी।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत व्यक्तिगत में ऋण उपलब्ध कराये जाने की प्रगति जिन जनपदों द्वारा प्रथम तिमाही में निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत प्राप्त किया गया है उन जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी। जबकि जनपद यथा बलिया, लखनऊ, पड़रौना (कुशीनगर), गाजियाबाद, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), जहॉगीराबाद (बुलन्दशहर), गुलाठी (बुलन्दशहर), मुज्जफरनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), हरदोई, गंगाघाट (उन्नाव), बरेली, इलाहाबाद, अलीगढ़, नवाबगंज (बाराबंकी), कानपुर, महोबा, मुरादाबाद एवं सुलतानपुर को माह जनवरी, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

SEP(G) के अन्तर्गत प्रथम तिमाही में निर्धारित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करने वाले जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी है। जबकि जनपद यथा वाराणसी, सहारनपुर, लोनी (गाजियाबाद), हापुड़, मऊ, आगरा, मेरठ, लखनऊ, मुज्जफरनगर, गाजियाबाद, फतेहपुर, इटावा, आगरा, इलाहाबाद, कानुपर नगर, अलीगढ़, बरेली, झांसी एवं मुरादाबाद द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति न किये जाने की दशा में मिशन निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं कड़े निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक दशा में माह दिसम्बर, 2017 एवं माह जनवरी, 2018 दोनों माहों तक के लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिये जाये।

SEP(Group Linkage) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करने वाले जनपदों के परियोजना अधिकारियों की सराहना की गयी है। जबकि जनपद यथा मथुरा, मुज्जफरनगर, लखनऊ, देवरिया, हरदोई, वाराणसी, मऊ, अलीगढ़, बदायूँ, फैजाबाद, कासगंज, मथुरा, अमरोहा, बस्ती, फर्रुखाबाद, नवाबगंज (बाराबंकी), बरेली, उरई (जालौन), कानुपर नगर एवं रामपुर द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति न किये जाने की दशा में मिशन निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं कड़े निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक दशा में

माह दिसम्बर, 2017 एवं माह जनवरी, 2018 दोनों माहों तक के लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में माह जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिये जाये।

SEP(G) तथा SEP(Group Linkage) के अन्तर्गत निम्न जनपदों द्वारा बहुत ही खराब कार्य किया गया है जिस पर निदेशक महादेय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा भविष्य के लिए सचेत करते हुए निर्देशित किया गया कि माह दिसम्बर, 2017 तक निर्धारित लक्ष्य माह जनवरी, 2018 का लक्ष्य सम्मिलित करते हुए 31.01.2018 तक लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय। संबंधित जनपदों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर परियोजना अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा शहर मिशन प्रबन्धकों की आबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	जनपद / शहर का नाम	SEP(G)	SHG Bank Linkage
1.	आजमगढ़	0	0
2.	बलिया	0	–
3.	ज्ञानपुर (भदोही)	0	0
4.	मोदीनगर (गाजियाबाद)	0	0
5.	गाजीपुर	0	0
6.	हरदोई	0	–
7.	पड़रौना (कुशीनगर)	0	–
8.	भिन्गा (श्रावस्ती)	0	–
9.	राबर्टसगंज (सोनभद्र)	0	–
10.	अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)	0	0
11.	फैजाबाद	0	–
12.	कन्नौज	0	0
13.	कासगंज	0	–
14.	मंझनपुर (कौशाम्बी)	0	–
15.	शाहजहॉपुर	0	0
16.	सुलतानपुर	0	0
17.	हमीरपुर	–	0
18.	झांसी	–	0
19.	महोबा	–	0
20.	मुरादाबाद	–	0
21.	बागपत	0	0
22.	बड़ौत (बागपत)	0	0
23.	बलरामपुर	–	0
24.	चन्दौली	–	0
25.	मुगलसराय (चन्दौली)	–	0
26.	दादरी (जी0बी0 नगर)	–	0
27.	गाजियागाद	0	–

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी परियोजना अधिकारियों को निदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर जिलाअधिकारी की अध्यक्षता में गठित DLBC की बैठकों में बैंक एवं शाखावार लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की सूची सहित प्रतिभाग करें तथा शाखा प्रबन्धकों को इस तथ्य से अवगत कराये कि आपकी शाखा में कितने आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु लम्बित है। संबंधित शहर मिशन प्रबन्धकों का यह गुरुतर दायित्व होगा कि वह शाखा प्रबन्धकों से समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करके लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इसके अतिरिक्त सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान राशि का प्रेषण संबंधित बैंको से जानकारी प्राप्त करके प्राथमिकता के आधार पर करायें।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये है:–

- जनपद यथा गाजीपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, कन्नौज कासगंज, कौशाम्बी, शाहजहॉपुर, सोनभद्र एवं सुलतानपुर शहर के शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा DAY-NULM के अन्तर्गत घटकों में निर्धारित लक्ष्यों

के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति में माह जनवरी, 2018 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

- DAY-NULM के अन्तर्गत समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त लक्ष्यों की समीक्षा प्रत्येक माह की दिनांक 20 एंव 21 परियोजना अधिकारियों द्वारा की जायेगी, जिसका विवरण एस0यू0एल0एम0 उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं प्रत्येक दशा में माह फरवरी, 2018 तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाये।
- DAY-NULM के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा अपने–अपने नये विचार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

आई0एच0एस0डी0पी0–

आजमगढ़ / बिलरियागंज–125 / 111 आवास

परियोजना अधिकारी, डूडा आजमगढ़, द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है। दिनांक 26.1.2018 तक कम्पलीशन सार्टीफिकेट सूडा को उपलब्ध करा दिया जायेगा साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि परियोजना पर अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन उपलब्ध कराये जायें।

बागपत / बड़ौत–208 / 160

परियोजना अधिकारी, डूडा, बागपत द्वारा अवगत कराया गया कि 160 आवासों में से 112 आवास पूर्ण हो चुके है शेष 48 आवास निर्माणाधीन है। निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर अविलम्ब कार्य पूर्ण कराते हुये कम्पलीशन सार्टीफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

बलिया / बलिया–313 / 150

परियोजना अधिकारी, डूडा वलिया, द्वारा अवगत कराया गया कि 147 आवास पूर्ण है तथा लाभार्थियों को आवंटित है शेष 03 आवास निर्माणाधीन है। निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने एवं तत्काल कम्पलीशन सार्टीफिकेट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा में उपलब्ध करायें।

बलरामपुर / पचपेड़वा 60 आवास एवं उतरौला 48 आवास

परियोजना अधिकारी डूडा बलरामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि दोनों परियोजनाओं के सभी कार्य पूर्ण है। वाह्य विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। दिनांक 2.6.2017 को सूडा मुख्यालय, वित्त नियंत्रक, महोदय की अध्यक्षता में वाह्य विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी जिसमें सहायक अभियन्ता उ0प्र0 राजीय निर्माण निगम लि0, को निर्देशित किया गया था कि वाह्य विद्युत कनेक्शन में लगने वाली सामग्री की दरों का बाजार मूल्य का सत्यापन कराते हुये सामग्री उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम क्रय कर एवं विद्युत विभाग के रजिस्टर्ड कान्ट्रेक्टर से कार्य करायें। उ0प्र0 राजकीय निर्माण ने अवगत कराया गया कि इकाई पर 12.62 लाख की धनराशि अर्जित ब्याज के मद में है। सहायक परियोजना अधिकारी बलरामपुर को निर्देश दिये गये थे कि डूडा स्तर पर परियोजना पर ब्याज की धनराशि से अवगत कराये जिससे वाह्य विद्युतीकरण पर होने वाले व्यय में समायोजित करते हुये निर्णय लिया जा सके। जिसकी सूचना सूडा मुख्यालय पर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर विस्तृत आख्या सूडा मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

मैनपुरी / किसनी–748 / 349, घिरौर–450 / 208

परियोजना अधिकारी डूडा मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि आवासों में कुछ कमियां है। इन कमियों को ठीक कराने के उपरान्त ही आवासों को लाभार्थियों में आवंटन किया जा सकेगा।

सी0एण्डडी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब उक्त आवासों से कमियों को दूर कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

गाजियाबाद–डूडा हेड़ा 1236 आवास, डासना–204 आवास, अर्थला–208 एवं फरीदीनगर 288 आवास

परियोजना अधिकारी डूडा गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि डूडा हेडा में 1236 आवासों की परियोजना में 1188 आवास पूर्ण हो चुके है शेष 48 आवास अनारम्भ है परियोजना अधिकारी डूडा गाजियाबाद को निर्देशित किया गया कि अनारम्भ आवासों के अभ्यर्पण का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर तथा वापस की जाने वाली धनराशि तत्काल प्राप्त कर सूडा मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

जालौन/कालपी–120 आवास एवं कदौरा–156 आवास

परियोजना अधिकारी, डूडा, जालौन द्वारा अवगत कराया गया कि 120 आवास पूर्ण हो चुके है एवं 75 लाभार्थियों को आवास आवंटित कर दिये गये है। शेष आवासों के आवंटन की प्रकिया प्रगति पर है।

परियोजना अधिकारी, डूडा, जालौन को निर्देशित किया गया कि दोनों परियोजनाओं के आवासों को लाभार्थियों को आवंटित करते हुये कम्पलीशन सार्टीफिकेट तत्काल सूडा मुख्यालय भिजवायें।

जालौन/उरई–288 आवास

परियोजना अधिकारी, डूडा, जालौन ने अवगत कराया कि 288 आवासों में से 228 आवास पूर्ण एवं 60 आवास निर्माणाधीन है तथा 258 आवास आवंटित कर दिये गये है 228 आवास लाभार्थियों को हस्तगत करा दिये गये है। सी0एण्डडी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब उक्त आवासों को पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

कानपुर देहात/अमरौधा–72 एवं डेरापुर 72 आवास

परियोजना अधिकारी डूडा, कानपुर देहात, ने अवगत कराया कि निर्माणाधीन आवासों पर अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अविलम्ब कार्य प्रारमभ कर परियोजना को पूर्ण कराते हुये कम्पलीशन सार्टीफिकेट एवं अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

अमरोहा–79 आवास, अमरोहा–जोया–42 आवास, अमरोहा–हसनपुर–36 आवास, अलीगढ/इन्दिरा नगर 425 आवास, अलीगढ/–जमालपुर 168 आवास, बाराबंकी–96 आवास, फैजाबाद/गोसाईगंज–72 आवास, झांसी/पिछोर–144 आवास के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 31.1.2018 तक कम्पलीशन सार्टीफिकेट सूडा मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

महोबा–84 आवास

परियोजना अधिकारी, डूडा, महोवा ने अवगत कराया कि निर्मित पानी की टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है एवं आवासों में किये गये ब्रिक कोवा से जाव आवासों में सिपेज हो रही है। सी0एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उक्त कमियों को दूर करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

बी0एस0यू0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के साथ परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु पत्र निर्गत करने के निर्देश भी दिया गया।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

बी0एस0यू0पी0– बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद आगरा, मथुरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, एवं लखनऊ के परियोजना अधिकारी को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कम्पलीशन सार्टीफिकेट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया

कि प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त समस्त परियोजना अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये :–

1. जिन परियोजनाओं में आवास अभी अनारम्भ है उन्हें तत्काल अभ्यर्पित कर दिया जाये।
2. जिन परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था से धनराशि वापस ली जानी है उसे तत्काल सूडा मुख्यालय को वापस कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट सूडा मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित कराने की कार्यवाही करें।
4. समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा काफी मात्रा में परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र डूडा को उपलब्ध करा दिये गये है जो कि डूडा स्तर पर लम्बित है। निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय में अविलम्ब प्रेषित करने की कार्यवाही करें।
5. जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अपूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में जनवरी, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये। जनपद– गोरखपुर, फिरोजाबाद मथुरा, गाजियाबाद, वाराणसी, रामपुर, के परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत यदि लाभार्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो सर्वे करने के पश्चात जनपद स्तरीय कमेटी की अनुमति लेकर धनराशि मुख्यालय को वापस कर दें।

(कार्यवाही–सूडा/संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है केवल उन्हीं को पूर्ण किया जाये अनारम्भ आवासों का कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया की वित्तीय वर्ष 2017–18 में आसरा योजनान्तर्गत रू0 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अतः उक्त धनराशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी परियोजना अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे आरम्भ अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने हेतु द्वितीय किश्त/मूल्यवृद्धि तथा अवस्थापना

के प्रस्ताव तथा व्यय की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- यदि किसी स्वीकृत परियोजना में किसी विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है तो उसकी स्वीकृत धनराशि तत्काल मुख्यालय को वापस कर दें।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

- समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि नई संचालित मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का शासनादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने के दृष्टिगत सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे शासनादेश के अनुरूप नई डी0पी0आर0 तैयार कर सूडा द्वारा आंवटित लक्ष्य के अनुरूप एवं जनप्रतिनिधियों से अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारुप 42–I के प्रारुप ''क'' एवं ''ख'' पर गुणवत्ता/विशिष्टियॉ/ उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही–जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच आर एण्ड एसेस्मेंट्स (USHA)

ऊषा, स्लम सर्वे के अन्तर्गत जनपदों– बहराइच, इटावा को निर्देशित किया गया कि इस योजना हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल प्रेषित करें एवं अनुपयोग की स्थिति में धनराशि अभिकरण मुख्यालय को एक सप्ताह में वापस करना सुनिश्चित करें। इसमें पूर्व में ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है, अतः प्राथमिकता अपेक्षित है।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जनपद– औरैया, बागपत, सहारनपुर, इटावा, मथुरा, मेरठ, मुज्जफरनगर, रामपुर, शाहजहॉपुर, शामली, सीतापुर, श्रावस्ती के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह

में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे एक सप्ताह में मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

आई.एल.सी.एस.–

पूर्व संचालित आई.एल.सी.एस. योजनान्तर्गत जनपद– बरेली, बागपत, मेरठ, रामपुर के परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि वापस करने अथवा उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

बैलेंस शीट/आडिट रिपोर्ट–

समीक्षा बैठक में वित्त नियन्त्रक, सूडा द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 की बैलेंसशीट जनपद– मथुरा, शाहजहांपुर, झांसी, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं एटा से अभी तक मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। तत्क्रम में सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराते हुए बैलेंसशीट तैयार कराकर तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गये तथा जहां बैलेंसशीट तैयार करने हेतु सी0ए0 जनपदों से सम्पर्क नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुख्यालय से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश भी दिए गए।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) –

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास –

1–प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 263000 बी0एल0सी0 (एन.) आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। उक्त के क्रम में निर्देशित किया गया है कि सभी स्वीकृत आवासों की जिओ टैगिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराया जाए।

2–सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सम्बन्धित कन्सलटेन्ट से समन्वय स्थापित करते हुए BHUVAN पोर्टल पर जिओ टैगिंग का कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करायें।

3–परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि यदि डी0पी0आर0 में अपात्र लाभार्थी सम्मिलित हो गए हैं तो उसका क्या विकल्प है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि अपात्र लाभार्थियों के स्थान पर जो पात्र लाभार्थी पूर्व में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाए हैं उनका चयन कर नियमानुसार उनको डी0पी0आर0 में सम्मिलित किया जाए।

4–सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जनपद स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञ द्वारा एम0आई0एस0 पर एन्ट्री कराना सुनिश्चित करायें।

5– समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यदि उनके जनपद/निकाय में डाटा प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है तो वे अपने स्तर से विशेष

प्रयास करते हुए मैनपावर उपलब्ध कराकर उक्त कार्य को प्रत्येक दशा में 25 जनवरी, 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य का भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाएगा।

6– सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे दिन प्रतिदिन कार्यों का अनुश्रवण करें तथा जिन निकायों की डी0पी0आर0 स्वीकृत हो चुकी हैं वहाँ ग्राउण्डिंग का कार्य चरणबद्ध प्रकिया के अनुसार तत्काल प्रारंभ कराएं। यह भी निर्देश दिए गये कि ग्रांउन्डिंग प्रारम्भ कराने से पूर्व लाभार्थी का सत्यापन अवश्य कर लिया जाये।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

उक्त के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जो सी0एम0एम0 मुख्यालय द्वारा आयोजित पी0एफ0एम0एस0 (PFMS) पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निकायवार खातों का पंजीकरण किए जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए थे वे एक सप्ताह में मुख्यालय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–4187 **/110/तीन/97 Vol-VII** **दिनांक**–29/01/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक